जसमेर सिंह एवं अन्य *बनाम* चंडीगढ़ राज्य सहकारी351
बैंक लिमिटेड और अन्य (*न्यायमूर्ति* जवाहर लाल गुप्ता)

इस विवाद में. प्रशासन ने आउट-ऑफ-टर्न आवंटन की रियायत पति/पत्नी को देने का निर्णय लिया है, पुत्र को नहीं। वज़ह साफ है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है और वे कभी-कभी अपने माता-पिता को बेसहारा छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, प्रशासन ने सेवारत पति/पत्नी के पक्ष में आउट-ऑफ-टर्न आवंटन करने की शक्ति सुरक्षित रखी है। कारण यह है कि जोड़ा सरकारी आवास में एक साथ रह सकेगा। यदि प्रशासन ने केवल पति/पत्नी को ही रियायत देने का निर्णय लिया है, पुत्र को नहीं, तो हमें हस्तक्षेप करने या यह मानने का कोई आधार नहीं मिलता कि यह प्रावधान संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कुछ भी मनमाना या उल्लंघनकारी नहीं है।

(16) हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो याचिकाकर्ता संख्या 2 से अधिक समय तक सेवा में हैं। उनके अधिकारों को केवल इसलिए नहीं दबाया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता के पास सरकारी घर था। दूसरे याचिकाकर्ता को अपने से पहले कतार में मौजूद अन्य लोगों के साथ अपनी बारी का इंतजार करना होगा। प्रशासन की कार्रवाई और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश उचित है। इनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(17) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है ।

(18) तीनों प्रश्नों के हमारे उत्तरों को देखते हुए, हमें इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती।

(19) परिणामस्वरूप, इसे सीमा में ख़ारिज कर दिया जाता है।

आर.एन.आर

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और केएस कुमारन के समक्ष

जसमेर सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

चंडीगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य,—प्रतिवादी।

C.W.P. No. 17994 of 1998

18 दिसंबर 1998

भारत का संविधान, 1950— अनुच्छेद14, 16 एवं 226/227- सेवा समाप्ति - याचिकाकर्ताओं को विभिन्न पदों के विरुद्ध नियुक्त किया गया जो नियुक्ति के समय स्वीकृत नहीं थे - कोई उचित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया - सेवाएँ समाप्त कर दी गईं - नियुक्तियाँ अवैध होने के कारण सही ढंग से समाप्त कर दी गईं।

निर्धारित किया गया कि नियोक्ता उपलब्ध पदों पर नियुक्तियाँ करने का हकदार है ताकि दैनिक कामकाज जारी रखा जा सके। हालाँकि, कानून के तहत यह भी उतना ही आवश्यक है कि उपलब्ध पदों का विज्ञापन किया जाए। योग्य उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित किया जाता है और फिर चयन की उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जा सके, वर्तमान मामले में, कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। रोजगार कार्यालय को कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया। किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी।आवेदन प्राप्त हुए और नियुक्तियाँ की गईं। नियुक्तियाँ करने की ऐसी प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध थी और निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन थी।

(पैरा 5)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया है कि वास्तव में, स्वीकृत पद उस समय अस्तित्व में ही नहीं थे जब याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी। जब नियुक्तियाँ की गईं तो चयन की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। अवैध होने के कारण नियुक्तियों को सही तरीके से समाप्त किया गया।

(पैरा 7)

पी.एस पटवालिया, वकील, याचिकाकर्ताओं के लिए।

के.के गुप्ता, अधिवक्ता, -प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

जेएस सिद्धू, वकील, - प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, (मौखिक)

(1) इस मामले में याचिकाकर्ताओं को 2 अप्रैल, 1998 और 5 जून, 1998 के बीच विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। 21 नवंबर, 1998 को उन्हें बताया गया कि उनकी सेवाओं को इस आधार पर "अब आवश्यक नहीं होने के कारण समाप्त किया जा रहा है" कि उन्हें नियुक्त किया गया था। स्वीकृत संख्या से अधिक" प्रत्येक याचिकाकर्ता को अलग-अलग आदेश दिए गए। इनमें से दो आदेशों की प्रतियां रिट याचिका के साथ अनुलग्नक P-4 और P-5 के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। समाप्ति के आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वे बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द करने और उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ क्लर्क/चपरासी के रूप में काम करने की अनुमति देने के लिए एक रिट जारी करने की प्रार्थना करते हैं।

(2) उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं के दावे का विरोध किया। प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से दाखिल लिखित बयान में बताया गया है कि नियुक्तियां बिना किसी प्रक्रिया का पालन किये की गयी हैं कोई विज्ञापन या चयन नहीं था। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के समय स्वीकृत पद भी मौजूद नहीं थे। बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए अस्तित्वहीन पदों पर की गई नियुक्तियाँ पूरी तरह से अमान्य थीं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कुछ पद अब स्वीकृत कर दिए गए हैं और इन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके भरा जाएगा।

(3) उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए श्री पटवालिया का तर्क है कि बर्खास्तगी के आदेश निरर्थक हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं को कोई अवसर नहीं दिया गया था। दूसरे, वकील का कहना है कि बैंक ने हमेशा बिना किसी विज्ञापन के भर्ती की है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई भेदभाव के दोष से ग्रस्त है। अंत में, यह तर्क दिया गया कि बोर्ड ने पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रकार, पदों को समाप्त करने का आधार ही अस्तित्वहीन है। याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे का उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने खंडन किया है।

(5) यह स्वीकृत स्थिति है कि बैंक रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना नए पद सृजित नहीं कर सकता है। चंडीगढ़ सहकारी वित्तपोषण संस्थान सेवा नियमों के नियम 3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि बैंक का बोर्ड प्रधान कार्यालय के साथ-साथ शाखा कार्यालयों के लिए मूल पदों की संख्या निर्धारित करने में सक्षम है। हालाँकि, यह "रजिस्ट्रार की मंजूरी के अधीन है"। माना जाता है कि 31 से अधिक पदों के सृजन के लिए बैंक द्वारा रजिस्ट्रार की मंजूरी 5 जून, 1998 तक नहीं ली गई थी, जब याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था या 21 नवंबर, 1998 तक भी जब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृत पद याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के समय मौजूद नहीं थे। दूसरे, यह भी विवादित नहीं है कि बैंक ने किसी भी स्तर पर पदों का विज्ञापन नहीं किया था। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता ने प्रबंध निदेशक को एक आवेदन प्रस्तुत किया और उन्होंने नियुक्ति का आदेश पारित कर दिया। उदाहरण के तौर पर, बैंक ने कुछ आवेदनों और उस पर प्रबंध निदेशक द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां पेश की हैं। विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए बिना या यहां तक कि रोजगार कार्यालय का संदर्भ दिए बिना विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने में बैंक की यह कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन थी।

(6) यह निस्संदेह सत्य है कि एक नियोक्ता दैनिक कामकाज जारी रखने के लिए उपलब्ध पदों पर नियुक्तियां करने का हकदार है। हालाँकि, कानून के तहत यह भी उतना ही आवश्यक है कि उपलब्ध पदों का विज्ञापन किया जाए। योग्य उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित किया जाता है और फिर चयन की एक उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को विभिन्न

पदों पर नियुक्त किया जा सके। वर्तमान मामले में, कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। रोजगार कार्यालय को कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया। किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी. आवेदन प्राप्त हुए और नियुक्तियाँ की गईं। नियुक्तियाँ करने की ऐसी प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध थी और निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन थी।

(7) इसके अलावा, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। आदेश में कहा गया था कि "आप एक वर्ष की अवधि .....के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।" आगे यह प्रावधान किया गया कि प्रबंधन को "परिवीक्षा अवधि के अंत में आपकी सेवा समाप्त करने का पूरा अधिकार है"। अप्रैल/जून 1998 में नियुक्त होने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने नवंबर, 1998 में परिवीक्षा की अवधि पूरी नहीं की थी जब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

(8) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि स्वीकृत पद वास्तव में उस समय मौजूद नहीं थे जब याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी। जब नियुक्तियां की गईं तो चयन की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। 21 नवंबर, 1998 के आदेश के तहत अवैध होने के कारण नियुक्तियों को सही ढंग से समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, श्री पटवालिया का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं को सुने जाने का अधिकार था। वह 8 अप्रैल, 1997 को इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा तय की गई सिविल रिट याचिका संख्या 13697/1996 के फैसले पर भरोसा करते हैं। इस मामले में तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से अलग थी। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्तियां की गई हैं। चयनित अभ्यर्थी उच्च पदों पर कार्यरत थे। सरकार द्वारा की गई जांच के अनुसरण में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। याचिकाकर्ता उस जांच से जुड़े नहीं थे। उस स्थिति में यह देखा गया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अधिकार था। हालाँकि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दी गयी है. उनकी नियुक्ति के लिए कोई मंजूरी नहीं मांगी गई थी। स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं होने के कारण बर्खास्तगी के आदेश पारित किये गये हैं। यदि प्राधिकारी चुप रहता और परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने देता तो याचिकाकर्ता दावा कर सकते थे कि उन्हें पुष्टिकृत समझा जाता है। अधिकारियों ने निर्दोष आदेश पारित किए हैं इस स्थिति में, याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका देने की आवश्यकता नहीं थी और बिना किसी नोटिस के आदेश पारित करने की कार्यवाही में अधिकारियों की कार्रवाई को मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है।

(9) श्री पटवालिया ने तर्क दिया है कि यह कार्रवाई भेदभाव की भावना से ग्रस्त है क्योंकि वर्ष 1980 से इसी तरह नियुक्त किए गए विभिन्न व्यक्ति अभी भी जारी हैं जबकि याचिकाकर्ताओं को बर्खास्तगी के लिए चुना गया था। इस विवाद को कायम नहीं रखा जा सकता। सबसे पहले, दो गलतियाँ कभी भी सही नहीं बनतीं। यदि बैंक ने गलत तरीके से नियुक्त किए गए कुछ लोगों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि गलती दोहराई जानी चाहिए। दूसरे, जो व्यक्ति कथित तौर पर अवैध रूप से सेवा में बने हुए हैं, वे इस याचिका में पक्षकार नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। तीसरा, मैसर्स फ़रीदाबाद सीटी. स्कैन सेंटर बनाम डीजी स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य (1) में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा प्रतिपादित नियम के मद्देनजर भेदभाव की दलील को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। नतीजतन, यह तर्क खारिज कर दिया जाता है कि कार्रवाई भेदभाव के दोष से ग्रस्त है।

(10) यह भी तर्क दिया गया कि पद उपलब्ध हैं। माना जाता है कि पदों के लिए मंजूरी 3 दिसंबर, 1998 को रजिस्ट्रार द्वारा दी गई है। हमारे सामने उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कहा है कि जो पद अब उपलब्ध हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके भरा जाएगा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य पात्र व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। जो उपयुक्त पाए जाएंगे उनका चयन कर नियुक्ति की जाएगी। हालाँकि, इस स्तर पर पदों की उपलब्धता याचिकाकर्ताओं को सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं दे सकती है। 3 दिसंबर, 1998 के आदेश के तहत पदों की मंजूरी, 21 नवंबर, 1998 को वैध रूप से पारित किए गए समाप्ति के आदेशों को रद्द करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं हो सकती है।

(11) अंत में, यह तर्क दिया गया कि बोर्ड ने पंजाब पैटर्न का पालन करने का निर्णय लिया है और पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस आधार पर यह प्रस्तुत किया गया कि बोर्ड ने पद सृजित करने का संकल्प लिया है, याचिकाकर्ताओं को वैध रूप से सृजित पदों के विरुद्ध नियुक्त माना जाना चाहिए। विवाद ग़लत है। नियम 3 के प्रावधान स्पष्ट हैं। इस बोर्ड के प्रस्ताव को पंजीयक की मंजूरी की आवश्यकता थी

(1) जे.टी 1997 (8) एस.सी 171

। 1998 में जब याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति हुई तो किसी भी अतिरिक्त पद के सृजन के लिए रजिस्ट्रार की मंजूरी नहीं थी।

(12) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है.

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती। परिणामस्वरूप, इसे खारिज किया जाता है।

जे.एस.टी